न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

मु0 नं0:– 16/2024 तारीख रजू :–13.08.24

उनवान

1. रंगलाल पुत्र कंचन 2. शिवराम पुत्र परसादी 3. उदयचंद पुत्र परसादी 4. धनसिंह पुत्र सुआलाल 5. कुलदीप पुत्र सुआलाल 6. सतीश पुत्र शिवराम 7. उमेश पुत्र शिवराम 8. मनीराम पुत्र उदयचंद 9. सुनील पुत्र उदयचंद 10. मोनू पुत्र उदयचंद	समस्त जाति मीना	निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली

प्रार्थीगण/गैरसायलान

बनाम

1. मदन पुत्र फूलू जाटव निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली (राज0)
2. सुगरबाई पुत्री फूलू पत्नि भूरसिंह जाटव निवासी आखावाडा, तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली (राज0)
3. शुक्ला पुत्री फूलू पत्नि हरि जाटव निवासी आखावाडा, हालवासी मोहचा तहसील वजीपुर, जिला गंगापुर सिटी (राज0)

4. सुरेश पुत्र रामस्वरूप जाटव 5. महेश पुत्र रामस्वरूप जाटव 6. गुरूचरण पुत्र रामस्वरूप जाटव 7. जलसिंह पुत्र रामस्वरूप जाटव 8. विक्रम पुत्र रामस्वरूप जाटव	समस्त निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

9. सोमा पुत्री रामस्वरूप जाटव पत्नि सियाराम जाटव निवासी आखावाडा, हाल निवासी अगिर्री तहसील करौली जिला करौली
10. रूपबाई पुत्री रामस्वरूप पत्नि हरि जाटव निवासी आखावाडा हाल निवासी अगिर्री तहसील करौली जिला करौली
11. निरी पुत्री रामस्वरूप पत्नि ओमी जाटव निवासी आखावाडा, हाल निवासी अगिर्री तहसील करौली जिला करौली
12. राममहेशी पुत्री रामस्वरूप पत्नि सीताराम जाटव निवासी आखावाडा हालवासी माचडी तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली (राज0)
13. रामबाबू पुत्र रामफल जाटव
14. बबलू पुत्र रामफल जाटव

निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

15. रमेशी पुत्री रामफल पत्नि पतन जाटव निवासी आखावाडा, हालवासी चंदीला, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
16. पुष्पा पुत्री रामफल पत्नि रामोतार जाटव निवासी आखावाडा हालवासी चंदीला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
17. बृजमोहन पुत्र मूलचंद जाटव निवासी अखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली
18. सोनदेई पुत्री मूलचंद जाटव पत्नि महादेवा जाटव निवासी आखावाडा हालवासी सिकन्दरपुर फाजिलाबाद तहसील हिण्डौन जिला करौली
19. माया पुत्री मूलचंद पत्नि मोती जाटव निवासी आखावाडा हालवासी झारेडा, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
20. प्रेमपती पुत्री मूलचंद पत्नि बिजेन्द्र जाटव निवासी आखावाडा हालवासी झारेडा, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
21. रूकमणी पुत्री मूलचंद पत्नि राजेश जाटव निवासी आखावाडा हालवासी झारेडा, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
22. रामदेई पुत्री मूलचंद पत्नि राजेश जाटव निवासी आखावाडा हालवासी बमनपुरा तहसील सूरोठ जिला करौली
23. प्रकाश पुत्र झण्डे जाटव
24. अशोक पुत्र झण्डे जाटव

निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली

25. सुगरबाई पुत्री सामन्ता पत्नि रामचरण जाटव निवासी आखावाडा हालवासी मोहचा तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

26. सुफेदी पुत्री सामन्ता पत्नि प्रकाश जाटव निवासी आखावाडा हालवासी आगिर्री तहसील करौली जिला करौली

27. हरकेश पुत्र नत्थी जाटव
28. मोनू पुत्र नत्थी जाटव
29. आकाश पुत्र नत्थी जाटव
30. माया पत्नि नत्थी जाटव

समस्त जाति जाटव निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली

31. पिंकी पुत्री नत्थी जाटव पत्नि रामबाबू जाटव निवासी आखावाडा हालवासी घोंसला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
32. हेमा पुत्री नत्थी जाटव पत्नि शिवराज जाटव निवासी आखावाडा हालवासी घोंसला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
33. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली
34. धनफूल पुत्र मूलचन्द जाटी जाटव नि. आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी हाल जिला करौली

अप्रार्थीगण/सायलान

उपस्थिति–

वकील प्रार्थीः– श्री सुनील कुमार जिन्दल

वकील अप्रार्थीः– श्री मनोज कुमार शर्मा

निर्णय दिनांकः– 30/04/2026

प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन निर्णय तारीखी 08.07.2024 व मुकदमा संख्या 21/2024 उनवानी मदनलाल वगै0 बनाम रंगलाल वगै0

सायलान/अप्रार्थीगण द्वारा एक उनवानी वाद मदनलाल वगै0 बनाम रंगलाल वगै0 दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मु0 संख्या 49/2024 विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत किया गया, जिसमें गैरसायलान द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व मूल वाद का जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाव प्रस्तुत करते समय काउन्टर क्लेम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

4594 रकवा 31 ऐयर, 4595/5191 रकवा 10 ऐयर, 4595 रकवा 17 ऐयर, 4598 रकवा 15 ऐयर, 4599 रकवा 14 ऐयर, 4600 रकवा 8 ऐयर कुल किता 6 कुल रकवा 95 ऐयर स्थित ग्राम पहाडी तहसील टोडाभीम के बाबत सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए प्रार्थीगण/ गैरसायलान को उक्त आराजी के कब्जे काश्त में शान्तिपूर्वक काश्त करने देने व बेदखल नहीं करने बाबत सायलान/अप्रार्थीगण को पाबंद करने बाबत अनुतोष मांगा गया है, जिसका सायलान/अप्रार्थीगण द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया तथा उक्त समस्त जबावों को रिकॉर्ड पर लेकर माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.07.2024 को निर्णय पारित किया गया जिसमें सायलान/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में सायलान का कब्जा नही मानते हुए और उक्त आराजी पर प्रार्थीगण/गैरसायलान का कब्जा मानते हुए सायलान का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2024 को खारिज कर दिया गया।

माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 21/2024 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करते समय प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अपने निर्णय में उल्लेख नहीं किया, ना ही प्रार्थीगण के काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पारित किया है इसलिए प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णीत किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत पुनरावलोकन निर्णय तारीखी 08.07.2024 प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय तारीखी 08.07.2024 के पेज नम्बर 4 में वादग्रस्त आराजी जिसका साबिक खसरा नम्बर 2601 रकवा 3 बीघा 15 विस्वा था जिसे सायलान के बुजुर्गो पाँच्या पुत्र कल्याण, फूल पुत्र पाँच्या से 4800/- रूपये में प्रार्थीगण/गैरसायलान के बुजुर्ग परसादी को विक्रय किये जाने व विक्रय बाबत लिखा पढी 5/- रूपये स्टाम्प पर किया जाना मानते हुए और वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण/गैरसायलान का कब्जा मानते हुए एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थीगण/गैरसायलान के हक में मानते हुए सायलान/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया लेकिन प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पारित करने से रह गया इसलिए भी यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ।

प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा दिनांक 08.07.2024 को उक्त निर्णय की प्रति लेने एवं कानूनी सलाहकारों को उक्त निर्णय को दिखाने पर प्रार्थीगण को बताया

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर स्थगन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नही किया गया है इसलिए माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त तथ्य को रखते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, जिस पर यह प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन निर्णय तारीखी 08.07.2024 प्रकरण संख्या 21/2024 बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व उनवानी मदनलाल वगै0 बनाम रंगलाल वगै0 स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्थगन प्रार्थना पत्र का निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4594 रकवा 31 ऐयर, 4595/5191 रकवा 10 ऐयर, 4595 रकवा 17 ऐयर, 4598 रकवा 15 ऐयर, 4599 रकवा 14 ऐयर, 4600 रकवा 8 ऐयर कुल किता 6 कुल रकवा 95 ऐयर स्थित ग्राम पहाडी के बाबत सायलान/अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण/गैरसायलान के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करने एवं शान्तिपूर्वक काश्त करने देने एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने हेतु यथास्थिति मौके व रिकॉर्ड की बनाये रखने हेतु पाबंद किये जाने बाबत आदेश फरमाने की कृपा करे।

गैर–सायलान नं0 जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 व धारा 151 जा0 दी0 निम्नलिखित पेश किया:–

मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र में सायलान/अप्रार्थीगण द्वारा उनवानी वाद मदनलाल वगै0 बनाम रंगलाल वगै0 मु0नं0 49/2024 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 21/2024 पेश किया जाना एवं मूल वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा जबाव एवं काउन्टर क्लेम पेश किया जाना एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 08.07.2024 को निर्णीत किया जाना स्वीकार है। शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर की गई है, अस्वीकार है। वास्तव में माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय ता0 08.07.2024 के पेज नम्बर 5 पर स्पष्ट दर्ज किया है कि 'पत्रावली का अवलोकन किया गया', इससे स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली में मौजूद उभय पक्षकारान के समस्त दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व जबाव प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम का अवलोकन व अध्ययन कर ही यह निर्णय ता0 08.07.2024 पारित किया गया है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा यह तथ्य भी बिल्कुल गलत व खिलाफ निर्णय/आदेश दर्ज किया है कि माननीय

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली

न्यायालय द्वारा अपने निर्णय/आदेश दर्ज किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय/आदेश में अप्रार्थीगण/सायलान का कब्जा नही माना हो और प्रार्थीगण/गैरसायलान का कब्जा माना हो, बल्कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कही भी यह दर्ज नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण/गैरसायलान का कब्जा है, बल्कि निर्णय के पेज नम्बर 5 पर स्पष्ट दर्ज किया है कि "बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात खसरा गिरदावरी किता 7 में पांच्या पुत्र कल्याण कजाति चमार द्वारा फसल काश्त करना साबित है। एवं अप्रार्थीगण/सायलान की वादग्रस्त भूमि में झोपडी निर्मित होना स्वीकार है, इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी/सायलान बजमाना बुजुर्गान काबिज एवं दखील है एवं मौके पर प्रार्थीगण/गैरसायलान का एक इंच भू भाग पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही आज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण/सायलान की बुजुर्गान के समय से कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है एवं बजामाना बुजुर्गान अप्रार्थीगण/सायलान वादग्रस्त भूमि पर काबिज एवं दखील है। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ कानून खारिज कर दिया है, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/सायलान द्वारा उक्त निर्णय तारीखी 08.07.2024 की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष व उनवानी मदन वगै0 बनाम रंगलाल वगै0 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0 एक्ट मु0नं0 40/2024 दिनांक 11.07.2024 को पेश कर दी है जिसमें आज ही तारीख पेशी नियम है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मेंन्टेनेबिल नहीं है, काबिले खारिज है।

मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा इस मद में समस्त तथ्य बिल्कुल गलत एवं खिलाफ रिकॉर्ड दर्ज किये हैं, जिनका कानूनन कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में प्रकरण संख्या 21/2024 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा पेश किये गये जबाव प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम दोनों में दर्ज तथ्य एक ही है, दोनों के तथ्यों में कोई भिन्नता नहीं है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के निर्णय तारीखी 08.07.2024 के पेज नम्बर 4 पर बखूबी उक्त तथ्यों का उल्लेख किया है एवं प्रार्थीगण/गैरसायलान के वकील की बहस को बखूबी निर्णय के पेज नम्बर 5 पर दर्ज करते हुए यह निर्णय पारित किया है। मात्र निर्णय/आदेश में "काउन्टर क्लेम" शब्द दर्ज नही होने से कानूनन किसी भी निर्णय/आदेश का पुनरावलोकरन किया जाना ना ही तो आवश्यक है और ना ही न्याय संगत है। प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत एवं खिलाफ कानून पेश किया है, जो मेंन्टेनेबिल नही है, काबिले खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली

मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया है, अस्वीकार है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पेज नम्बर 4 में सम्पूर्ण निर्णय/आदेश में कहीं भी या अन्यत्र किसी जगह पर सायलान के बुजुर्ग पांच्या पुत्र कल्याण, फूल पुत्र पांच्या द्वारा 4800/- रूपये में प्रार्थीगण/गैरसायलान के बुजुर्ग परसादी को विक्रय किये जाने का व विक्रय बाबत लिखा पढी 5/- रूपये के स्टाम्प पर किया जाना नही माना है और ना ही प्रार्थीगण/गैरसायलान का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ही माना है, और ना ही एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थीगण/गैरसायलना का हक ही माना है। और ना ही उक्त तथ्यों को मानते हुए अप्रार्थीगण/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज ही किया है, और ना ही काउन्टर क्लेम का निर्णय पारित करने में विफल ही रहा है, बल्कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय/आदेश ता0 08.07.2024 में बखूबी खसरा गिरदावरी के आधार पर अप्रार्थीगण/सायलान की वादग्रस्त भूमि पर काश्त मानते हुए एवं वादग्रस्त भूमि में सायलान की झोपडी बनी होना मानते हुए अप्रार्थीगण/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ कानून खारिज किया है, जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय सवाईमाधोपुर के समक्ष लम्बित है। प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा निर्णय/आदेश के पेज नम्बर 4 पर जबाव प्रार्थना पत्र/काउन्टर क्लेम के निर्णय में दर्ज तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में साबित मानना बिल्कुल झूठा व गलत दर्ज किया है। एवं माननीय न्यायालय को मुगालता देने की गरज से दर्ज किया है, जबकि माननीय न्यायालय ने निर्णय/आदेश के ऑपरेशन पार्ट में प्रार्थीगण/गैरसायलान के पक्ष में उक्त प्रकार का कोई तथ्य दर्ज नही किया है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र मेंन्टेनेबिल नहीं है, काबिले खारिज है।

मद नम्बर 4 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश तारीखी 08.07.2024 की उसी दिन न्यायालय से नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता/विधि सलाहकार से पूर्णतया सलाह मशविरा कर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय सवाईमाधोपुर के समक्ष कैवियेट प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2024 को पेश किया, जो अपने अधिवक्ता/विधि सलाहकार से पूर्णतया सलाह मशविरा कर ही पेश किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा उक्त निर्णय/आदेश पर दिनांक 08.07.2024 को ही अपने अधिवक्ता/विधि सलाहकार से डिस्कस हो चुका था फिर भी प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन म्याद बाहर पेश किया है,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

जिसे अंदर म्याद शुमार किया जाना कतई न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन म्याद बाहर होने से मेंन्टेनेबिल नहीं है,

मद नम्बर 5 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया है, अस्वीकार है। इस मद में प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा ना ही तो यह दर्ज किया है कि नियमानुसार कोर्ट फीस कितनी है, और नाही यह दर्ज किया है कि कितनी फीस पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस बिना पर भी यह प्रार्थना पत्र मेंन्टेनेबिल नही है, काबिले खारिज है।

मद नम्बर 6 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया है, अस्वीकार है। वास्तव में माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश तारीखी 08.07.2024 जेरे प्रार्थना पत्र के खिलाफ अप्रार्थीगण/सायलान द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय सवाईमाधोपुर के समक्ष दिनांक 11.07.2024 को अपील पेश कर दी है, जिसकी बखूबी जानकारी जरिये कैवियेट प्रार्थीगण/गैरसायलान को उसी दिन हो चुकी है, और प्रार्थीगण/गैरसायलान जरिये अधिवक्ता उक्त अपील में उपस्थित हो चुके है, जिसमें प्रार्थीगण/गैरसायलान अपनी चाराजोही माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है, और जब किसी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश की अपीलेट न्यायालय में अपील लम्बित है तब कानूनन अधिनस्थ न्यायालय को उक्त निर्णय/आदेश जेरे अपील के पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। और ना ही अपील लम्बित रहते हुए पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र ही मेंन्टेनेबिल है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही होने से एवं प्रार्थना पत्र के मेंन्टेनेबिल नही होने से प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन काबिले खारिज है।

गैरसायलान ने अपने विशेष विवरण में अंकित किया है कि –

प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन की रिलीफ में स्वयं द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में दर्ज रिलीफ से अतिरिक्त निर्माण कार्य नही करने व यथास्थिति मौके व रिकॉर्ड की बनाये रखने हेतु अतिरिक्त रिलीफ दर्ज की है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/गैरसायलान अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र में रह गई कमियों की पूर्ति खिलाफ कानून प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन के जरिये माननीय न्यायालय को मुगालता देकर करना चाहता है, जिसका अधिकार कानूनन प्रार्थीगण/गैरसायलान को नहीं दिया जा सकता है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन मेंन्टेनेबिल नहीं है, काबिले खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ता0 08.07.2024 के खिलाफ अपीलेट न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदया सवाईमाधोपुर के समक्ष लम्बित होने की बखूबी जानकारी प्रार्थीगण/गैरसायलान को होते हुए ही भी प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन में अपील संबंधी आवश्यक तथ्यों को जानबूझकर दर्ज नहीं किया है एवं प्रार्थना पत्र पुरावलोकन में काउन्टर प्रार्थना पत्र से अतिरिक्त तथ्यों को दर्ज किया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/गैरसायलान द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन क्लीन हैण्डस से पेश नही किया है और माननीय न्यायालय को मुगालता देने की गरज से मैटेरियल फैक्टस को भी छिपाया है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन मेंन्टेनेबिल नहीं है, काबिले खारिज है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/गैरसायलान मय हैवी कॉस्ट खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा में काउंटर क्लेम का निर्णय ही नही हुआ तो माननीय न्यायालय अपने आदेश की समीक्षा अर्थात आदेश 47 नियम 1 में करे। अप्रार्थी वकील ने कथन किया कि न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2024 को निर्णित कर दिया था। अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होने से अप्रार्थीगण/सायलान ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष व उनवान मदन वगै0 बनाम रंगलाल वगै अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट मु.न. 40/2024 दिनांक 11.07.2024 को अपील की जो विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र के जबाव व काउण्टर क्लैम के सभी तथ्य समान है। प्रार्थीगण/गैर–सायलान द्वारा निर्णय की तारीख 08.07.2024 को ही माननीय राजस्व न्यायालय मे कैविएट दर्ज की जिससे स्पष्ट होता है कि इनको उक्त निर्णय आदेश पर दि. 08.07.2024 को ही पता चल चुका था तथा यह प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन ता. 13. 08.2024 को पेश किया जो मियाद बाहर है व खारिज होने लायक है। वाद के निर्णय में मेरे बुजुर्ग की जाति चमार से मीणा हुई है। ये वही पर कह रहे है कि खरीदी जो अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति मे कैसे मान्य है। न्यायालय का निर्णय सही है व मियाद बाहर भी है अतः अस्वीकार है।

पत्रावली पर बहस का मनन किया व उपलब्ध दस्तावेजो और निर्णय दिनांक 08.07.2024 का अवलोकन किया। CPC आदेश 47 नियम 1 मे पुनरावलोकन हेतु यह ठोस आधार होना चाहिए कि कोई नया तथ्य या साक्ष्य सामने आया है जो फैसले

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

के समय जानकारी में नही आया, या अभिलेख के पटल पर प्रत्यक्ष भूल या त्रुटि हुई हो। इस मामले मे ऐसा कोई कारण स्पष्ट नजर नहीं प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र निर्णय तारीख 08.07.2024 व मुकदमा न. 21/2024 उनवानी मदनलाल वगै बनाम रंगलाल वगै. में पुनरावलोकन अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली